


R-3923-PBR/12



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर/2923-पीबीआर/12

जिला-विदिशा

दिनांक तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-3-15	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.एस.सेंगर, अभि. उप. । अना. की ओर से श्री चैनसिंह राजपूत, अभि.उप. । आवेदक अभि. ब इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते ।</p> <p>अतः आवेदक अभि. के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / निगरानी / 2012 / विदिशा

1. तखत सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह लोधी,
2. मौजीलाल पुत्र श्री गोविन्द सिंह लोधी,
निवासी- ग्राम मूंदरा पीताम्बर, थाना नटेरन,
तहसील नटेरन, जिला विदिशा
हाल निवास- रायपुर

..... आवेदकगण

बनाम

गीता बाई पुत्री प्रकाश लोधी पत्नी श्री
खुमान सिंह लोधी, निवासी- ग्राम मेड़की,
जिला रायसेन

.....अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959
के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी नटेरन,
विदिशा के प्रकरण क्रमांक 89/अपील/2011-12 गीताबाई बनाम
तखत सिंह आदेश दिनांक 05-11-2012 को पारित ।

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

यह कि, विवादित आराजी कुल कित्ता 8 रकवा 7.233 हेक्टेयर
आवेदक के पिता गोविन्द लोधी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी
थी, जिनके तीन पुत्र आवेदक क्रमांक 1, 2 एवं पूरन सिंह सबसे छोटा बेटा
था । जिसकी शादी गुड्डी के साथ हुई थी, शादी के कुछ ही महीने बाद
पूरन सिंह की मृत्यु हो गई, मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही गुड्डी के
माता-पिता (मायके वाले) ने गुड्डी की दूसरी शादी ग्राम ^(डोडिया) ~~डोडिया~~ तह0 जिला

R. 39 23 - P B P 12

श्री. ~~कुपर सिंह कुवाडे~~, ~~अधीन~~
द्वारा आज दि. 16-11-12 को
प्रस्तुत
क. स.
ब्लॉक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कुपर सिंह कुवाडे
16-11-2012
अधीन